

गिरजाशंकर भगवान जी बधेका के शैक्षिक एवं दार्शनिक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन

एवं वर्तमान समय में उपादेयता

डॉ० श्रीराम सिंह

असिस्टेन्ट प्रोफेसर बी०एल०एड० विभाग

किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रकसा, रतसर—बलिया।

ARTICLE DETAILS

Research Paper

ABSTRACT

देश के प्रमुख बाल शिक्षाशास्त्री गिजूभाई बधेका को लोग प्रेम और सम्मान से गिजूभाई कहते थे। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये सिद्धान्त तथा विधियां निर्माण करने वाले प्रथम शिक्षाविद थे। गिजूभाई ने बाल शिक्षण के क्षेत्र में माण्टेसरी पद्धति के सिद्धान्तों को पढ़ा और उन सिद्धान्तों को भारतीय संदर्भ में स्थापित कर बच्चों की जरूरतों, स्तर, रूचि तथा आयु वर्ग के अनुसार शिक्षण की अनेक रोचक विधियां प्रस्तुत की। गिजूभाई बच्चों को स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण के प्रबल समर्थक थे। गिजूभाई के अनुसार विद्यालय का यह कर्तव्य होना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार मिलें। गिजूभाई शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रबल समर्थक थे। गिजूभाई के अनुसार शिक्षा बालके के अन्तःकरण की भूख है। इस प्रवृत्ति का उद्गम हमारे अन्दर होता है। कोई भी आदमी किसी को सिखा नहीं सकता। शिक्षा के माध्यम से मानव का विकास होता है और विकास की आधार अनुभव है। अनुभव स्वतंत्र किया की में निहित है। अतः बालक को स्वतंत्र व भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण का अर्थ है



भयमुक्त वातावरण। गिजूभाई सन् 1916–1920 तक विनयमंदिर हाईस्कूल में मुख्याध्यापक रहे। उन्होंने बालकों की क्रियाओं को बहुत ही करीब से देखा। गिजूभाई ने बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों और शक्तियों को ध्यान में रखकर अनेक प्रयोग किये थे। अमनोवैज्ञानिक तरीकों से चलाये जा रहे स्कूलों के बारे में वे कहते थे—इन जेल रूपी विद्यालयों से अपने बच्चों को संरक्षित कीजिए। वर्तमान समय में भी ये जेलखाने अंग्रेजी माध्यम के कान्वेंट और माण्टेसरी विद्यालयों के नाम से देश के कोने—कोने में संचालित हो रहे हैं, जहां हमारे बच्चों को उनके बचपन से दूर किया जा रहा है। गिजूभाई ने अपने ये विचार 20 वीं सदी में दिये थे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

प्रस्तावना—शिक्षा व्यक्तियों एवं हमारे समाज की उन्नति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज में फैली विसंगतियों एवं बुराईयों को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास(शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास) किया जाता है। शिक्षा के द्वारा बालक को ओजस्वी, बुद्धिमान एवं सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही बालकों में उच्च आदर्शों, आकांक्षाओं, विश्वासों, संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों का समावेश होता है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों के हृदय में देश—प्रेम और आत्म सम्मान की भावना का विकास होता है। जब ऐसी भावना तथा आदर्शों से युक्त बालक देश सेवा का संकल्प लेकर मैदान में उतरेंगे तो वर्तमान समय में हमारे समाज चल रही अनेक बुराईयां स्वयं ही दूर हो जायेंगी और हमारा राष्ट्र स्वतः ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा।

किसी भी समाज और राष्ट्र के भविष्य उस देश के बच्चे ही होते हैं। बाल जीवन की नीवं जितनी ही मजबूत होगी देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। बाल शिक्षाविद् गिजूभाई बधेका का जन्म 15 नवम्बर 1885 को स्वराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ था लोग उन्हें मूछों वाली मां के नाम से भी जानते हैं। जिसके कारण वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। गिजूभाई बाल शिक्षा के क्षेत्र में कान्ति लाने वाले प्रथम शिक्षाविद् थे। गिजूभाई ने कुछ



वर्षों तक वकालत की इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन सन् 1916 से मृत्यु तक अर्थात् 1939 तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किया। गिजूभाई बचपन में जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी उनका अनुभव यातनापूर्ण था। गिजूभाई ने अपने बचपन में शिक्षा प्राप्ति के दौरान मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। इन्हीं कटु अनुभवों ने ही उन्हें बाल शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया।

गिजूभाई माण्टेसरी पद्धति से काफी प्रभावित थे और उन्होंने मारिया माण्टेसरी जी के विचारों तथा सिद्धान्तों का भारतीय परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरण किया। उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए सन् 1920 ई० में हाईस्कूल का आचार्य पद छोड़ कर दक्षिणमूर्ति बाल मंदिर की स्थापना की। आज भी यह संस्था उतनी ही प्रखरता और उत्कृष्टता से शिशु शिक्षा का अनुकरणीय उदाहरण बनी कार्यरत है। गिजूभाई बालकों को पुस्तकीय ज्ञान और संस्कृतिक, व्यवहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की वकालत करते थे। भावनगर में महादेव के मंदिर के पास की एक टेकड़ी पर सन् 1922 में बड़ा ही खूबसूरत बाल मंदिर निर्मित हुआ। उसी वर्ष कस्तूरबा गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया। यह दक्षिणमूर्ति विद्यार्थी भवन ही उनकी साधना का प्रमुख स्थान था। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बालकों से बातचीत करने, उनके मन को समझाने, उनकी व्यथायें सुनने, समाधाने करने और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से जीवन-शिक्षा के उपयोगी पाठ पढ़ाने एवं विविध रचनात्मक कार्यों को करवाने में बिताये। निरंतर श्रम के कारण उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने लगी और 23 जून 1939 को 54 वर्ष की आयु में इस महान विभूति का देहावसान हो गया।

शोध अध्ययन के उद्देश्य—प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (1) गिजूभाई बधेका जी के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना।
- (2) गिजूभाई बधेका जी के दर्शन सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करना।
- (3) गिजूभाई बधेका जी के विचारों की आज के समय में निहितार्थ का अध्ययन करना।

गिजूभाई के शैक्षिक विचार—गिजूभाई का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है। गिजूभाई ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विचार दिये। गिजूभाई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे विद्यालय एवं ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना था जो बालकों के समग्र इन्द्रिय विकास, शारीरिक विकास, शैक्षिक भ्रमण तथा कहानी जैसी प्रवृत्तियों का केन्द्र हो। जहां



बालक हंसते—खेलते तथा रुचिपूर्ण गतिविधियों में सक्रियता के साथ भाग लेते हुए शिक्षा प्राप्त करें। गिजूभाई के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इस पद्धति का उद्गम हमारे भीतर से होता है। उद्गम का मूल अर्थ है अन्तरात्मा की भूख। कोई भी व्यक्ति दूसरे को सिखा नहीं सकता। गिजूभाई ने तत्कालीन शिक्षा को जीवन से प्रतिकूल पाया। वर्तमान समय की शिक्षा बालक के मस्तिष्क को सूचनाओं और पुस्तकीय जानकारी तो देती है परन्तु बालक का सर्वांगीण विकास करती ही नहीं। शिक्षा के सम्बन्ध में गिजूभाई कहते थे — हमें शिक्षा को वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां से विद्यार्थी को सर्वप्रथम जरूरत है। यदि विद्यार्थी सफाई से नहीं रहता है तो उसकी शिक्षा सफाई की शुरूआत सफाई से करनी चाहिए। यही शिक्षा का नया रूप है। गिजूभाई उस शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानते थे जो आजादी के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक, तथा नैतिक सभी पक्षों का विकास करे। बालक को निडर बनाये और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना सिखाये। गिजूभाई की शिक्षा एवं कार्य के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं—

(1) मारिया माण्टेसरी के अनुसार गिजूभाई बालक की स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता के पक्षधर थे।

(2) काका कालेलकर का कथन है कि गिजूभाई ने माता—पिता को बाल पूजा की शिक्षा देकर बच्चों के कल्याण तथा स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

(3) किशोरी लाल मशारुलाल का कथन है कि गिजूभाई के कार्यों में मैंने एक प्रकार की अहिंसक कान्ति देखी है।

(4) श्रीमती ताराबाई का कथन है कि गिजूभाई जहां भी गये वहां प्रकाश फैलाया।

(5) गांधी जी का विचार है कि उनके उत्साह तथा लगन ने मुझे मुग्ध कर दिया। उनका कार्य निश्चित रूप से बढ़ेगा।

गिजूभाई के दर्शन सम्बन्धी विचार— गिजूभाई का शिक्षा दर्शन उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित था। उनका दर्शन बालकों की समस्या पर केन्द्रित था उनका दर्शन बाल केन्द्रित था। उन्होंने बालकों को भगवान का स्वरूप मानकर बाल देवो भवः का मंत्र दिया। उनका कहना था कि बालक भगवान का रूप होता है जिस प्रकार भगवान को मनाने के लिए अनेक उपाय किये जाते हैं उसी प्रकार बालक को भी यत्नपूर्वक समझाने और सम्मान देने



की आवश्यकता है। गिजूभाई बालक को ईश्वर की उत्तम रचना मानते थे और बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर थे। उनका कहना था कि बालक को केवल देह से मत पहचानो, अपितु आत्मा से पहचानो, उसकी आत्मा युगों पुरानी है, अनादि है। यह आत्मा अपने विकास के निमित्त अग्रिम प्रयास के लिए नया शरीर धारण करने आई है। इसका उद्देश्य इसी के पास है, इसका फल इसी के भीतर है। जिस तरह से बीज में वृक्ष और फल उपस्थित रहता है अपना मार्ग और लक्ष्य यह जानता है। इस प्रवासी को मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देना। इस प्रकार गिजूभाई बालकों के प्रति और आनंद से ओत-प्रोत होकर सृष्टि में अवैयक्तिक रूप से काम करने वाली ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करते हैं।

गिजूभाई के दार्शनिक विचारों को एक पवित्र शब्द स्वर्ग में व्यक्त किया जाता है। स्वर्ग का अर्थ है— आनन्दमय जीवन। गिजूभाई ने अपने भावों को निम्न प्रकार बताया है—

स्वर्ग बालक के सुख में है।

स्वर्ग बालक के स्वास्थ्य में है।

स्वर्ग बालक के आनंद में है।

स्वर्ग बालक के गान तथा गुनगुनाने में है।

निष्कर्ष—भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये सिद्धान्त तथा विधियों का निर्माण करने वाले प्रथम शिक्षाशास्त्री गिजूभाई ने अपना जीवन बालकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। गिजूभाई का बाल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। जिस बालकेन्द्रित शिक्षा का आज सम्पूर्ण विश्व में गुणगान किया हो रहा है गिजूभाई ने बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति को खोजने के लिए अनेक प्रयोग किये, जो निम्नलिखित हैं—

(1) गिजूभाई बाल केन्द्रित शिक्षा के समर्थक थे। उनका कहना था कि विद्यालय नामक संस्था केवल अच्छे भले बुद्धिमान बालकों के लिए ही नहीं अपितु हर तरह के बालकों के लिए है।

(2) गिजूभाई का कहना था कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व तथा क्षमताओं आदि को समझना चाहिए एवं उसी के अनुसार अध्यापन का कार्य किया जाना चाहिए।

(3) गिजूभाई का कहना था कि शिशुओं के साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।



- (4) गिजूभाई बालकों को स्वतंत्रता देने के प्रबल समर्थक थे।
- (5) गिजूभाई करके सीखने के सिद्धान्त के प्रबल समर्थक थे। वे बच्चों को स्वयं कार्य करके सीखने का समर्थन करते थे क्यों कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है और बच्चे की प्रतिभा का विकास होता है।
- (6) गिजूभाई का कहना था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- (7) गिजूभाई बालकों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देने के पक्षधर रहे। उनके अनुसार शिक्षा बुद्धि को स्वतंत्र, विवेकपूर्ण व तार्किक चिंतन में सक्षम एवं निर्भीक बनाती है।
- (8) गिजूभाई का कहना था कि पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों की रुचि, रुझानों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम करके सीखने, परिश्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाला तथा वैज्ञानिक बुद्धि उत्पन्न करने वाली होना चाहिए।
- (9) गिजूभाई का कहना था कि शिक्षक ही वह माध्यम है जिसके चारों ओर बालकों का भविष्य घूमता हुआ आकार लेता है, अतः शिक्षक को बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं बालकों को कुछ नया करने की क्षमता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। उनका कहना था कि शाला बालकों को स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण प्रदान करे जिससे बालक अपने आप सीखने के लिए तत्पर रहें।
- (10) गिजूभाई का कहना था कि झूठ का मूल है भय। सबसे पहला काम है बालकों को उस भय से मुक्त कराना।
- (11) गिजूभाई का कहना था कि बालकों को इस नहीं आयु में ललचा फुसलाकर या डरा धमकाकर नियंत्रण में रखने का प्रयास कदापि न करें लालच भी उतना ही बुरा है जितना दण्ड।
- (12) गिजूभाई का कहना था कि बालकों को मेहमानों के सामने गाने के लिए न कहें। ऐसा करने से बालक में अभिमान आ जाता है।
- (13) गिजूभाई का कहना था कि ट्यूशन लगाने से बालक के दिमाग की शांति कमज़ोर हो जाती है।



(14) गिजूभाई के लिए बालकों के हृदय में असीम प्रेम था। वे बाल शिक्षा को राष्ट्रीय एजेण्डे से जोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। किन्तु बहुत ही खेद का विषय है कि शिक्षा के अधिकार से आज भी 3–6 आयु वर्ग के बच्चे वंचित हैं, क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून में 3–6 वर्ष के बच्चों के हितों की बात नहीं की गई है। और शासन द्वारा निर्गत की गई समेकित बाल विकास परियोजना के तहत चलने वाली आंगनबाड़ी सेवायें मात्र पोषाहार वितरण कार्यक्रम तक ही सीमित रह गई हैं। अतः बाल शिक्षा के इस स्वरूप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

(15) गिजूभाई विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों से अधिक महत्व बाल स्कूलों की व्यवस्था को उत्तम बनाने पर देते थे। क्यों कि शैशवावस्था का समय बाल विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालकों के शरीर और मस्तिष्क का जितना विकास इस अवस्था में होता है उतना पूरे जीवन काल में नहीं होता। गिजूभाई के अनुसार विद्यालय बाल विकास की एक प्रयोगशाला होता है जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप सम्पूर्ण साधन सामग्री हो ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।

गिजूभाई के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में उपादेयता—शिक्षा समाज में बदलाव और समाज के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। गिजूभाई का मानना था कि शिक्षा में उन्नति का कार्य बाल शिक्षा से ही किया जाना चाहिए। बाल शिक्षा से ही शिक्षा की नीव को मजबूत किया जा सकता है। बालकों की शिक्षा के किसी भी क्षेत्र के कमजोर होने से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कमजोर होगी। अतः बालकों के भविष्य को सीखने की प्रक्रिया कवे उन्नत, मजबूत और उज्ज्वल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बाल विकास की नींव को मजबूत किया जाये। गिजूभाई बच्चों की अच्छी शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक से अधिक अभिभावकों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उन्होंने 20 वीं शताब्दी में ही शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को शामिल कर अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जो वर्तमान समय में शिक्षक—अभिभावक संगठन की उपादेयता को उपयोगी मानता है।

वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। गली मोहल्लों में पब्लिक स्कूलों के बोर्ड दिख रहे हैं जो घुटनभरे दूषित वातावरण में अमनोवैज्ञानिक तरीकों से संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में शिशुओं को विद्यालय में प्रवेश के साथ ही परीक्षा, भारी भरकम बस्ता, मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, खेलकूद व आनंद के बजाय कड़े अनुशासन आदि विकृतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें समय के अनुसार



शासन के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संदर्भ में गिजूभाई बच्चों के अभिभावकों को बताते थे कि इन जेलखानों से अपने शिशुओं को संरक्षित कीजिए। शालायें खुले हवादार और साफ-सुथरे स्थान पर होनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बाल केन्द्रित और बाल मैत्रिक परिवेश का सृजन करना चाहिए। ताकि इन शालाओं में आने के बाद बच्चा घर जाना ही न चाहे। विद्यालय में बालकों को सीखने सिखाने का आनंदमयी वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचना से सिद्ध होता है कि गिजूभाई कितने दूरदर्शी और कितने दूरगामी सोच रखते थे। उन्होंने बाल शिक्षा के सन्दर्भ में जो प्रयोग किये थे उन्हें 20 वीं सदी में ही नई शिक्षण पद्धति के रूप में दिये थे वो आज 21 वीं सदी में भी प्रासांगिक है। उपरोक्त विमर्श के सन्दर्भ में उनकी उपादेयता सिद्ध होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

- (1) चौबे, एस०पी०(1983) हमारी शिक्षा समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
- (2) अग्रवाल, जे०सी(2011) उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, आगरा, अग्रवाल पुस्तक मन्दिर।
- (3) बधेका, जी०, बाल—शिक्षण जैसा मैंने समझा, जयपुर, अंकित पब्लिकेशन।
- (4) बधेका, जी०, कथा कहानी शास्त्र, जयपुर, अंकित पब्लिकेशन।
- (5) बधेका, जी०, माता—पिता से जयपुर, गीतांजलि पब्लिकेशन।
- (6) बधेका, जी०, शिक्षक हों तो, जयपुर, गीतांजलि पब्लिकेशन।
- (7) बधेका, जी०, दिवास्वन्ज, जयपुर गीतांजलि पब्लिकेशन।
- (8) बधेका, जी०, चलते—फिरते शिक्षा, जयपुर, अंकित पब्लिकेशन।
- (9) बधेका, जी०, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षण पद्धतियां, जयपुर, गीतांजलि पब्लिकेशन।
- (10) बधेका, जी०, प्राथमिक विद्यालय में भाषा—शिक्षा, जयपुर, गीतांजलि पब्लिकेशन।